FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0010 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 16/01/2024 15:56 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 24/01/2023 **Date To (दिनांक तक):** 01/03/2023

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 07:37 बजे **Time To (समय तक):** 10:30 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 16/01/2024 **Time (समय):** 14:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 16/01/2024 15:56:33 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-EAST, 60 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** BCHCHHWARI, SANJU NAGOR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** VIMAL KUMAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** PEMA RAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1995 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	BCHCHHWARI, SANJU, NAGAUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	BCHCHHWARI, SANJU, NAGAUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-9636764955

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SUKHRAM		पिता:RAMJEEVAN	1. NIBWRI CHANDAWTA,NAGAUR,RAJAS

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		7,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 7,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

निवेदन है कि ब्यूरो मुख्यालय द्वारा शिकायत आर. नं. - 1685 दिनांक 04.04.23 विरूद्ध श्री सुखराम पटवारी, पटवार हल्का बच्छवारी, तहसील सांजू, जिला नागौर के परीक्षणोंपरान्त उक्त आरोपी के विरूद्ध प्राथमिक जांच पंजीबद्ध करने का निर्णय लिया जाकर प्राथमिक जांच संख्या 25/2023 विरूद्ध श्री सुखराम पटवारी, पटवार हल्का बच्छवारी, तहसील सांजू, जिला नागौर दर्ज की गई। जिसका सत्यापन मन् पुलिस निरीक्षक सुशीला विश्नोई, भ्र.नि.ब्यूरो, चौकी नागौर द्वारा किया गया। उक्त प्राथमिक जांच के सत्यापन से पाया गया कि दिनांक 28.02.2023 को ब्यूरो मुख्यालय के निर्देशानुसार मन् पुलिस निरीक्षक, सुशीला विश्नोई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर द्वारा परिवादी श्री विमल कुमार के मोबाईल नम्बर 9636764955 पर अपने निजी मोबाईल नम्बर 9414420120 से सम्पर्क किया गया तो परिवादी श्री विमल कुमार ने बताया कि ‘‘मेरे खेत में जाने वाले रास्ते का नामान्तरण/रजिस्ट्री करवानी है। मैंने पटवारी श्री सुखराम से वार्ता की तो पटवारी ने बताया कि इस कार्य के बदले रिश्वत में खर्चा पानी देना पड़ेगा। मेरे से पूर्व में भी 7000/- रूपये रिश्वत के रूप में ले चुका है। फिर भी आनाकानी कर रहा है। रिश्वत में और रूपये लेना चाहता है। लेकिन मैं विदेश में होने से व्यक्तिगत ट्रेप कार्यवाही करवाने में असमर्थ हूं। मेरे गांव खिंयास में मेरा मित्र बाबूसिंह है, उससे मैं बात करके आपसे सम्पर्क करवाता हूं, वो मेरी तरफ से ट्रेप कार्यवाही करवा देगा।‘‘ जिस पर दिनांक 01.03.2023 को मन् पुलिस निरीक्षक, सुशीला विश्नोई मय कानि0 बालाराम नं0 554 के मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के जरिये सरकारी वाहन मय चालक श्री सुरेन्द्र सिंह नं0 355 के कुचेरा पहुंचे, जहां परिवादी श्री बाबूसिंह उपस्थित मिला। पूर्व में प्रार्थी विमल कुमार के कहेनुसार बाबूसिंह से पूछा तो बताया कि ‘‘हां मेरे पास मेरे दोस्त विमल का फोन आया था और मैं आगे की ट्रेप कार्यवाही करवाने के लिए तैयार हूं।‘‘ इस पर परिवादी श्री बाबूसिंह ने मन् पुलिस निरीक्षक को एक हस्त लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि ‘‘सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्योरो, नागौर, विषय :- रिश्वत लेते हुए पटवारी श्री सुखाराम पटवार हल्का बच्छवारी को रंगे हाथों पकड़वाने बाबत्। महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे दोस्त विमल कुमार निवासी बच्छवारी के दादाजी के नाम जमीन का आपसी बंटवारा कर नामांतरण भरने की एवज में पटवारी सुखाराम मेरे दोस्त से वाट्सप पर चेटींग करके 7000 रू फोन-पे से दिनांक 24.01.2023 को सुखाराम के फोन-पे नम्बर पर भेज दिए उसके बाद भी आनाकानी कर रहा है जिस पर मेरे दोस्त विमल कुमार जो भारतीय सेना में है, वर्तमान में विदेश में है वो आ नहीं सकता, इसलिए विमल ने मुझे कहा कि तू पटवारी सुखाराम से सम्पर्क कर मेरा काम के बारे में पूछ व हमारे रास्ते वाली जमीन का भी नामांतरण करवाने हेतु पूछना, इस पर मेने पटवारी से फोन पर बात की तो कहा की क्या काम है। तब मैंने मेरे दोस्त वाला नामांतरण के बारे में पूछा तो कहा कर दूंगा व फोन पर कहता की क्या काम है फोन पर बता दो तब मैंने कहा आपसे मिलना है तो कहा की मैं फ्री होकर आपको कॉल करता हूं और कोई कॉल नहीं किया व न ही आज तक बंटवारा सम्बन्धित व रास्ता का भी 7000 रू देने के बाद भी नामांतरण नहीं भरा है। अब मैं और किसी प्रकार की मेरे दोस्त विमल के वाजिब काम के बदले रिश्वत नहीं देना चाहता हूं व पटवारी सुखाराम, पटवार हल्का बच्छवारी को रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूं कारवाई करने की कृपा करे।‘‘ परिवादी की उक्त रिपोर्ट का अवलोकन कर उससे मजीद पूछताछ की गई तो परिवादी ने अवगत करवाया कि मेरा दोस्त विमल कुमार भारतीय सेना में विदेश गया हुआ है। उनके खेत के बंटवारे व रास्ते के नामांतरण हेतु मेरे दोस्त विमल कुमार ने व्हाट्सएप पर पटवारी सुखराम से बात की तो उसने 7000 रूपये रिश्वत देने पर काम करने का कहा, जिस पर मेरे दोस्त ने सुखराम पटवारी के फोन-पे पर 7000 रूपये भेज दिये, लेकिन काम नहीं हुआ तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि तुम पटवारी से मिलना और मेरे काम के बारे में बातचीत करना तो मैंने पटवारी से फोन पर बात की तो बोला कि काम हो जायेगा लेकिन आज तक काम नहीं किया है और मेरे दोस्त विमल कुमार से रिश्वत के रूप में 7000 रूपये भी ले चुका है। परिवादी की उक्त लिखित रिपोर्ट तथा मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत की मांग का पाया जाने पर रिश्वती मांग का गोपनीय सत्यापन कराया जाना आवश्यक होने से कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के परिवादी श्री बाबूसिंह को उसे ऑपरेट करने की समझाईश कर सुपुर्द किया गया तथा उसे समझाया की वह श्री सुखराम पटवारी के पास जाकर अपने दोस्त के कार्य के संबंध में व लेन देन के सम्बन्ध में वार्ता करें तथा हमराह कानि0 श्री बालाराम नम्बर 554 से परिचय करवाते हुए रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी के साथ जाने व बाद रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर परिवादी से प्राप्त कर उपस्थित कार्यालय आने की हिदायत की गई। ताबाद कानि0

बालाराम नं0 554 ने उपस्थित चौकी होकर बताया कि परिवादी ने संदिग्ध से जरिये मोबाईल वार्ता की तो संदिग्ध ने बताया कि क्या काम है मैं फ्री होकर कॉल कर लूंगा, जिस पर संदिग्ध के फोन कॉल का 5.00 पी.एम. तक इन्तजार किया मगर फोन नहीं आने से निर्देशानुसार परिवादी बाबूसिंह से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड प्राप्त कर उपस्थित कार्यालय आया। जिस पर दिनांक 02.03.23 को पुनः श्री बालाराम कानि0 को मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के परिवादी से मिलकर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता करवाने हेतु कुचेरा भेजा गया मगर परिवादी द्वारा संदिग्ध अधिकारी से जरिये मोबाईल फोन सम्पर्क करने पर ड्यूटी में बाहर होना बताया तथा परिवादी श्री बाबूसिंह ने कानि0 बालाराम को बताया कि मेरे द्वारा कई बार फोन करने पर श्री सुखराम पटवारी मिलने से आनाकानी कर रहा है। हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता है, शायद सुखराम पटवारी को इस कार्यवाही के बारे में शक हो गया है, जिससे अब वो मेरे से बातचीत नहीं करेगा और न ही रिश्वत की मांग करेगा। परिवादी के बतायेनुसार आरोपी पटवारी को अपने विरूद्ध कार्यवाही की भनक लगने पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही संभव नहीं हो पाई। ताबाद दिनांक 27.03.2023 को परिवादी श्री विमल कुमार ने अपने मोबाईल नम्बर 9636764955 से मन् पुलिस निरीक्षक, सुशीला विश्नोई के मोबाईल नम्बर 9414420120 पर जरिये व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेजे, जिनका अवलोकन किया गया तो आरोपी सुखराम पटवारी द्वारा दिनांक 23.01.2023 को परिवादी श्री विमल कुमार से जरिये व्हाट्सएप चैटिंग 7000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग कर, मांग के अनुसरण में 7000/- रूपये रिश्वत राशि अपने फोन-पे नम्बर पर प्राप्त करना पाया गया। दौराने सत्यापन प्राथमिक जांच में अंकित आरोपों से सम्बन्धित तहसील कार्यालय सांजु व संबंधित बैंक से रिकॉर्ड प्राप्त किया गया तथा मुख्यालय निर्देशानुसार फर्द निरीक्षण परिवादी श्री विमल कुमार के मोबाईल ओपो कम्पनी का एफ11 एवं सम्बन्धित गवाहान के बयान व आरोपी के स्पष्टीकरण कथन लिये जाकर जांच की गयी तो पाया गया कि :- यह है कि सहपरिवादी श्री बाबूसिंह के मित्र व परिवादी श्री विमल कुमार के दादाजी के नाम की जमीन का बंटवारा करने हेतु श्री विमल कुमार ने हल्का पटवारी श्री सुखराम से सम्पर्क किया व नवम्बर 2022 में जमीन का बंटवारा तहसील कार्यालय सांजू में करवाकर नामान्तरण दर्ज करने हेतु कागजात हल्का पटवारी श्री सुखराम को दिये, लेकिन जनवरी 2023 तक श्री सुखराम पटवारी ने परिवादी के खेत का नामान्तरण नहीं किया और बहाने बनाता रहा। परिवादी श्री विमल कुमार भारतीय सेना में है और उनकी पोस्टिंग शान्ति सेना में कांगों (विदेश) में होने के कारण वहां नेटवर्क पर अपने नम्बर काम नहीं करने से शान्ति सेना का नेट यूज करके परिवादी ने आरोपी सुखराम पटवारी से जरीये वाट्सएप कॉल व चैटिंग कर अपने काम के संबंध में बातचीत की। इसी क्रम में दिनांक 23.01.2023 को जरीये वाट्सएप चैटिंग आरोपी पटवारी ने अपने मोबाईल नम्बर 9784285694 से परिवादी को कहा कि फौजी साहब कल 7000/- फोनपे कर देना मैं कल तहसीलदार से साईन करवा दूंगा। परिवादी विदेश में होने की वजह से मजबूरन उससे 5,000/- रूपये में काम करवाने के लिए जरीये मैसेज प्रार्थना की लेकिन पटवारी नहीं माना और 7,000/- रूपये भिजवाने को कहा। अतः परिवादी ने परेशान होकर मजबूरन आरोपी श्री सुखराम पटवारी को 7,000/- रूपये उसके बतायेनुसार उसके फोन-पे नम्बर 9784285694 पर भेज दिये। उसके बाद भी पटवारी आनाकानी करता रहा। इसी दौरान एक खेत के रास्ते के कागज भी नवम्बर में ही पटवारी श्री सुखराम को दिये उन कागजों को भी पटवारी श्री सुखराम ने अपने पास रखे हुए रखा और नामान्तरण नहीं किया। जिससे परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक, सुशीला विश्नोई, भ्र.नि.ब्यूरो, नागौर से सम्पर्क किया लेकिन परिवादी यहां मौजूद नहीं होकर भारतीय सेना में कांगो पोस्टेड होने के कारण अपने मित्र बाबूसिंह को कुचेरा भेजकर एसीबी टीम से मिलकर आरोपी पटवारी को रंगे हाथों पकड़वाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करवाया। उक्त प्रार्थना पत्र परिवादी श्री विमल कुमार की सहमति से श्री बाबूसिंह द्वारा एसीबी नागौर को प्रस्तुत किया गया था। सहपरिवादी श्री बाबूसिंह द्वारा पटवारी श्री सुखराम को ट्रेप करवाने की कोशिश की गई, मगर आरोपी पटवारी को शक होने से बाबूसिंह से नहीं मिला और न ही कोई बातचीत की, जिससे ट्रेप कार्यवाही नहीं हो सकी। फिर आरोपी ने जमीन के बंटवारे का नामान्तरण दिनांक 08.02.2023 को कर दिया, लेकिन रास्ते के कागजों को अपने पास रखे रखा। अन्त में एसीबी द्वारा उसके कार्यालय से आरोपी के विरूद्ध सेवा रिकॉर्ड मांगने पर पटवारी ने रास्ते का नामान्तरण दिनांक 05.04.2023 को कर दिया। दौराने जांच दिनांक 21.07.2023 को परिवादी को फोन कर एसीबी कार्यालय तलब कर बयान लिये गये व ब्यूरो मुख्यालय के निर्देशानुसार परिवादी श्री विमल कुमार के मोबाईल फोन के निरीक्षण हेतु मन् पुलिस निरीक्षक, सुशीला विश्नोई द्वारा दो स्वतंत्र गवाहान श्री कृष्णचन्द्र गिला वरिष्ठ सहायक व श्री रामदेव खोजा कनिष्ठ सहायक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, नागौर से तलब कर परिवादी को अपना मोबाईल निरीक्षण हेतु पेश करने को कहा। गवाहान के समक्ष परिवादी श्री विमल कुमार के मोबाईल का निरीक्षण कर मन् पुलिस निरीक्षक के फोन से परिवादी के मोबाईल में सुरक्षित उक्त चैटिंग व फोन-पे के ट्रांजेक्शन के फोटोग्राफ लेकर उनका प्रिंट निकालकर उक्त सभी पर परिवादी व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये तथा फर्द निरीक्षण मोबाईल मुर्तिब कर फर्द पर भी परिवादी व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी से अपना मोबाईल फोन उक्त प्राथमिक जांच में आवश्यक होने से कब्जा एसीबी लेने बाबत् पूछा तो परिवादी ने बताया कि मैं भारतीय सेना में कार्यरत हूं और मेरे पास एक ही मोबाईल फोन है, मैं मेरा फोन कब्जा एसीबी देने में असमर्थ हूं। एसीबी को आवश्यक होने पर पुनः प्रस्तुत कर दूंगा तथा उक्त चैटिंग को सुरक्षित रखूंगा। दौराने जांच तहसील कार्यालय सांजू से प्राथमिक जांच में वांछित राजस्व रिकॉर्ड व एसबीआई बैंक से आरोपी पटवारी के बैंक खाते का स्टेटमेन्ट प्राप्त कर

बाद अवलोकन शामिल जांच किया गया। परिवादी श्री विमल कुमार, सहपरिवादी श्री बाबूसिंह व तहसीलदार सांजू के बयान व आरोपी श्री सुखराम पटवारी के स्पष्टीकरण कथन लेखबद्ध कर शामिल जांच किये गये। परिवादी श्री विमल कुमार व मन् पुलिस निरीक्षक, सुशीला विश्नोई, भ्र.नि.ब्यूरो, नागौर के मध्य जरिये व्हाट्सएप हुई चैट की फर्द ट्रांस स्क्रिप्ट तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। फोन पे के जरिये परिवादी द्वारा संदिग्ध लोक सेवक को किये गये भुगतान का प्रमाणित सुदा स्टेटमेंट भारतीय स्टेट बैंक, पीपाड़ शहर से प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया। उपरोक्त कार्यवाही का समय-समय पर रनिंग नोट पृथक से तैयार किया गया।इस प्रकार सम्पूर्ण जांच, बयानात गवाहान, उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेन्ट, फर्द निरीक्षण मोबाईल व परिवादी के मोबाईल की चैटिंग तथा परिवादी द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को प्रेषित स्क्रीनशॉट व फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट व्हाट्सएप चैट के अवलोकन से पाया गया कि आरोपी श्री सुखराम पटवारी, पटवार हल्का बच्छवारी, तहसील सांजू, जिला नागौर द्वारा परिवादी श्री विमल कुमार से उसके दादाजी के नाम जमीन का बंटवारा व रास्ते का नामान्तरण दर्ज करने की एवज में आरोपी श्री सुखराम पटवारी द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर अपने वैद्य पारिश्रमिक से भिन्न 7000/- रूपये रिश्वत राशि की जरिये व्हाट्सएप मैसेज मांग कर, मांग के अनुसरण में 7,000/- रूपये रिश्वत राशि अपने फोन-पे नम्बर 9784285694 पर प्राप्त की गई है, जो जांच से बखूबी प्रमाणित है। जिससे आरोपी श्री सुखराम पुत्र श्री रामजीवण जाति साद, निवासी निम्बड़ी चान्दावता, पुलिस थाना कुचेरा, तहसील सांजू, जिला नागौर हाल पटवारी, पटवार हल्का खैरवा अतिरिक्त चार्ज बच्छवारी, तहसील सांजू, जिला नागौर का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया घटित होना पाया जाता है। अतः उपरोक्त आरोपी के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित धाराओं में अभियोग पंजीबद्ध करनें हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक भ्र.नि.ब्यूरो राज0 जयपुर की सेवामें प्रेषित है। भवदीया, एसडी /- (सुशीला विश्नोई) निरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,नागौर...कार्यवाही पुलिस... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती सुशीला विश्नोई, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री सुखराम पुत्र श्री रामजीवण, पटवारी, पटवार हल्का खैरवा अतिरिक्त चार्ज बच्छवारी, तहसील साजूं, जिला नागौर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है । अतः अपराध संख्या 10/2024 उपरोक्त धारा में दर्ज कर अनुसंधान अधिकारी श्री तेजाराम पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो नागौर को सुपुर्द की गई है उक्त के सम्बन्धमें रोजनामाचा आम रिपोर्ट 236 पर अंकित है।(विशनाराम)पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।क्रमांक 40-44दिनांक 16.01.2024प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, संख्या-1,जोधपुर।जिला कलक्टर, नागौर।उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर।अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-परि., भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर(पीई 25/23)।पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** TEJA RAM **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):**

District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 16/01/2024 16:00:28

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishna Ram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1994				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)